# बीटी-आधारित उत्पादों के उत्पादकों और रजिस्ट्रारों के लिए दिशानिर्देश

DO NOT PRINT

## प्रस्तावना/परिचय

मलेरिया के विरुद्ध लड़ाई में डाइक्लोरोडिफेनिलट्राइक्लोरोइथेन (डीडीटी) के विकल्प को विकसित करने एवं बढ़ावा देने के लिए , वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) भारत के साथ काम कर रहे हैं। इनमें बैसिलस थुरिंजिएन्सिस (बीटी)-आधारित जैव कीटनाशक शामिल हैं, जो जैविक रोगाणुवाहक (वेक्टर) नियंत्रण के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त एजेंट(घटक) है।

वर्तमान में, भारत सरकार के स्वास्थ्य, परिवार और कल्याण मंत्रालय (MoH&FW) के अंतर्गत राष्ट्रीय रोगाणुवाहक (वेक्टर) जनित रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीवीबीडीसी), मलेरिया को नियंत्रित करने के लिए एक संभावित लार्वानाशी (लार्विसाइड) के रूप में, बैसिलस थुरिंजिएन्सिस इजराइलेन्सिस (बीटीआई) संस्करण के उपयोग की अनुशंसा करता है। ये बायो-लार्वानाशी (बायोलारविसाइड) सुरक्षित, प्रभावी, पर्यावरण के अनुकूल हैं और आम तौर पर शहरी व्यवस्था में डीडीटी का एक स्थायी विकल्प प्रदान करते हैं।

डीडीटी के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता और डीडीटी विकल्पों की मांग में संभावित वृद्धि के मद्देनजर, बीटी-आधारित उत्पादों के उत्पादकों और निर्यातकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है।

**महत्वपूर्ण विनियामक आवश्यकताएँ:**

- कीटनाशक अधिनियम, 1968 और नियम, 1971
- भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

# बीटी-आधारित उत्पादों के उत्पादकों और निर्यातकों के लिए मार्गदर्शन/दिशानिर्देश

- स्वदेशी उपयोग के साथ-साथ निर्यात के लिए विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए नियामक प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए।

**भारत[1] में एक नया व्यवसाय/विनिर्माण सुविधा शुरू करने के लिए अपनाई जाने वाली नियामक प्रक्रियाएं**

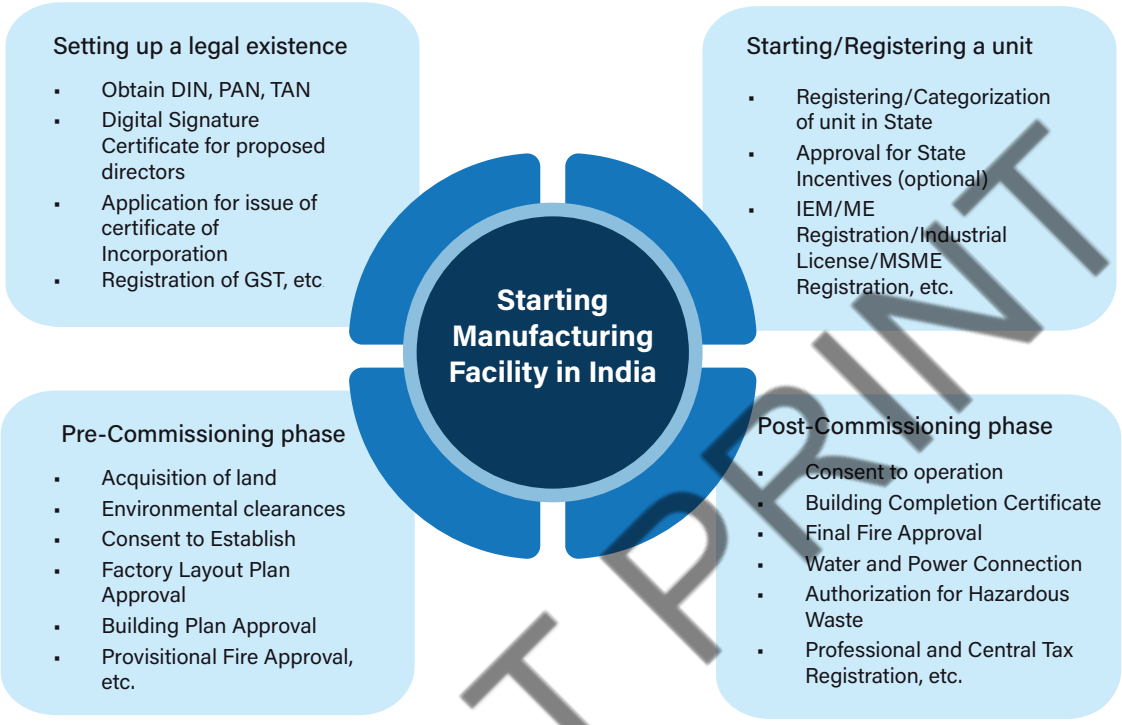


- सभी घरेलू उत्पादकों द्वारा बीटी-बायो-लार्वानाशी (बीटी-बायोलार्विसाइड्स) का अनिवार्य पंजीकरण (आयातित बीटी- लार्वानाशी को पंजीकृत नहीं किया जा सकता है)।

**बीटी-आधारित उत्पादों की पंजीकरण प्रक्रिया**

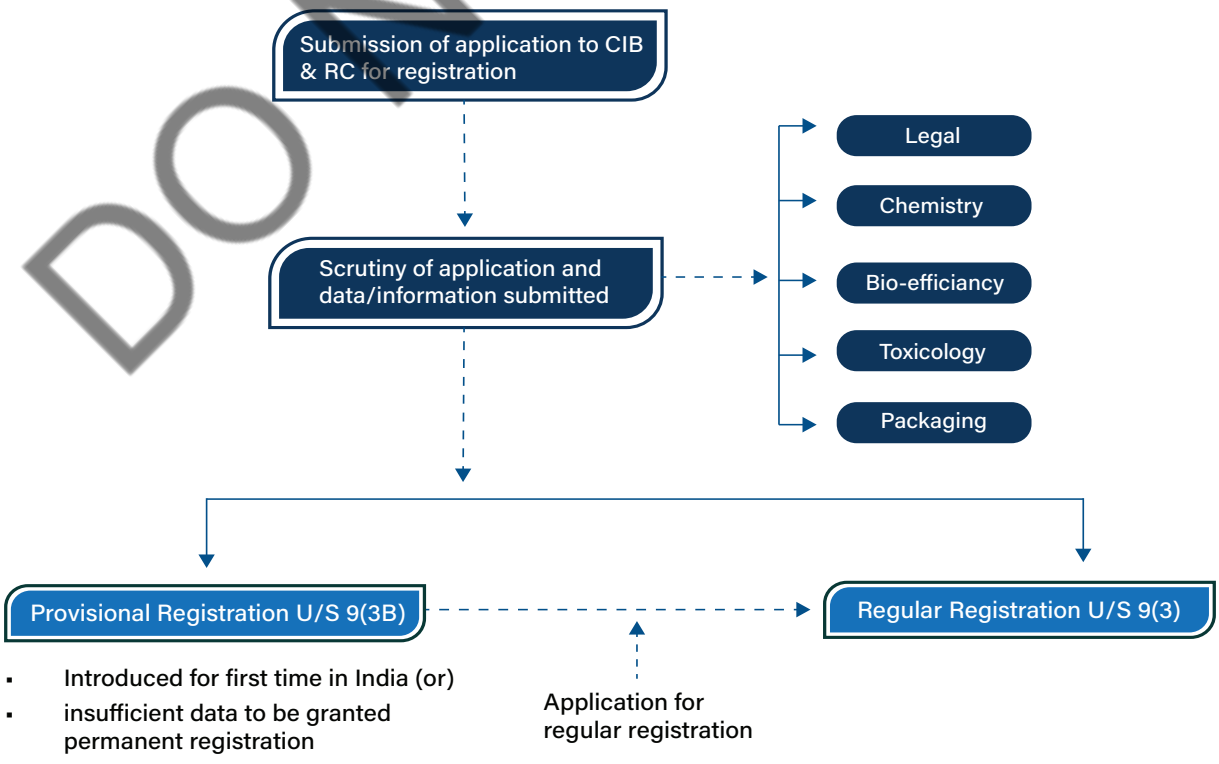


1. https://dpiit.gov.in/sites/default/files/approval_clearances_required_for_new_projects.pdf

DO NOT PRINT

- जहां उत्पादन इकाई स्थापित की गई है वहाँ की संबंधित राज्य सरकारों से अनुमोदन, (विनिर्माण लाइसेंस)।
- नियमों का अनुपालन
    - केंद्रीय कीटनाशक मंडल (बोर्ड) और पंजीकरण समिति (सीआईबी और आरसी) द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट निर्धारित शर्तों (उदाहरण के लिए, तकनीकी विनिर्देश, लेबलिंग और पैकेजिंग, कच्चे माल की गुणवत्ता, आदि) का अनुपालन।
    - उत्पादन सुविधा के कार्यरत होने से पूर्व और पश्चात में नियामक आवश्यकताओं को पूरा करना (बीटी-लार्विसाइड्स (लार्वानाशी) के पंजीकरण और आवश्यक मंजूरी के लिए एक साथ आवेदन किया जा सकता है)।
    - निर्यात उद्देश्यों के लिए नियमों का अनुपालन।

## बीटी-आधारित उत्पादों के पंजीकरण धारकों के लिए मार्गदर्शन/दिशानिर्देश

बिक्री या निर्यात के लिए लक्षित सभी बीटी-आधारित उत्पादों को सीआईबी और आरसी के पास व्यक्तिगत रूप से पंजीकृत किया जाना जरूरी है। एक बार जब उत्पादकों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाता है, तो वे पंजीकरण धारक बन जाते हैं।

- एनसीवीबीडीसी के अंतर्गत, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (राष्ट्रीय रोगाणुवाहक (वेक्टर) जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, एनवीबीडीसीपी) में पंजीकृत बीटी-बायोलार्विसाइड (लार्वानाशी) को सम्मिलित करना।
    - वर्तमान में, बीटी-बायोलारविसाइड्स (लार्वानाशी) को केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में उपयोग की अनुमति है, खुदरा बाजारों में बिक्री की अनुमती नहीं है।
    - पंजीकरण धारकों को अपने बीटी-बायोलार्विसाइड(लार्वानाशी) को राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सम्मिलित करने के लिए एनसीवीबीडीसी से संपर्क करना आवश्यक है।

**एनसीवीबीडीसी के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) में बीटी-बायोलार्विसाइड (लार्वानाशी) को सम्मिलित करने के चरण**

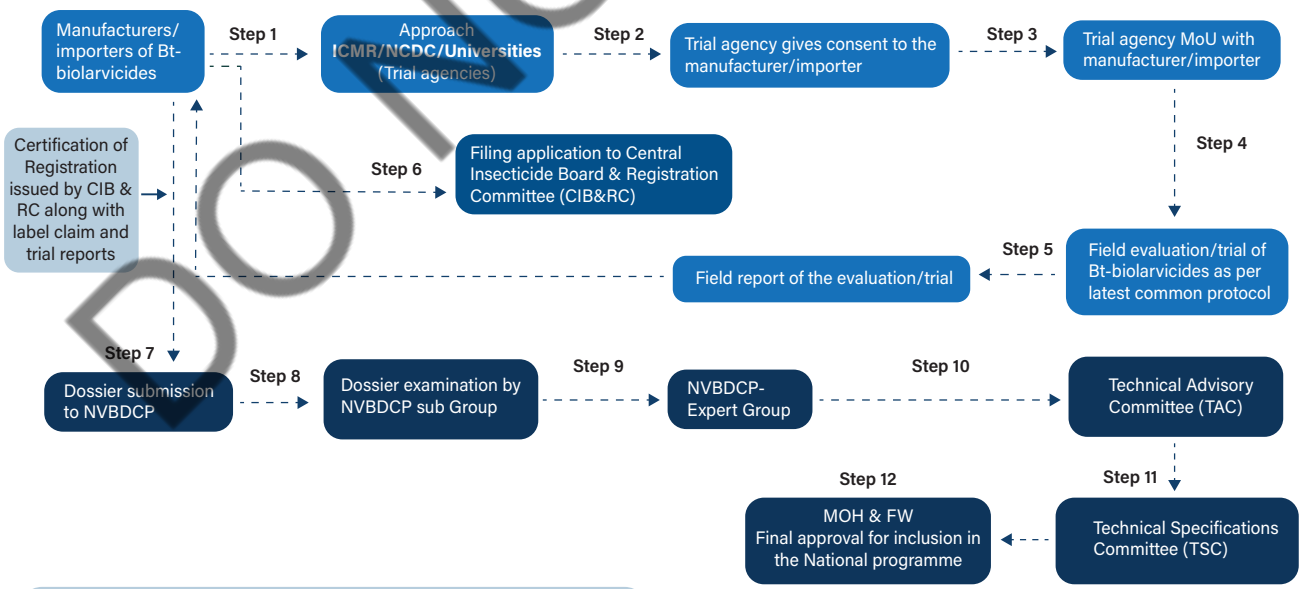


**NVBDCP:** National Vector Borne Disease Control Programme
**NCDC:** National Centre for Disease Control
**ICMR:** Indian Council for Medical Research
**MOH & FW:** Ministry of Health and Family Welfare

DO NOT PRINT

- सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से बीटी-बायोलार्विसाइड (लार्वानाशी) का व्यवसायीकरण

    - पंजीकरण धारकों को सरकारी खरीद एजेंसी (संस्था।शाखा) द्वारा जारी निविदाओं के लिए पूर्व-आवश्यकताएँ पूरी करनी होंगी।

    - यदी चयनित किया जाता है तो, बोली दस्तावेज़ में निर्दिष्ट तकनीकी मापदंडों/विनिर्देशों का सख्ती से पालन करें और समय पर आवश्यक मात्रा वितरित करें।

## महत्वपूर्ण वेब लिंक

| | |
|---|---|
| केंद्रीय कीटनाशक मंडल एवं पंजीकरण समिति (सीआईबी एवं आरसी) | ppqs.gov.in/visions/central-insectides-board-registration-committee |
| रोगाणुवाहक (वेक्टर) जनित रोग के लिए राष्ट्रीय केंद्र नियंत्रण (एनसीवीबीडीसी) | ncvbdc.mohfw.gov.in/ |
| भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) | www.bis.gov.in/ |

DO NOT PRINT